यह निरीक्षण प्रतिवेदन संयुक्त सचिव सचिवालय प्रशासन (लेखा अनुभाग 4650) उत्तराखंड शासन देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

संयुक्त सचिव सचिवालय (लेखा अनुभाग 4650) उत्तराखंड शासन देहरादून के 04/2018 से 06/2020 तक के अभिलेखों की लेखा-परीक्षा श्री के० एस० चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप सिंह पँवार लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21-07-2020 से 28-07-2020 तक श्री पी० के० गुप्ता वरिष्ठ लेखा-परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

1. **भाग-I परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री रवीन्द्र कुमार जयंत लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25.01.2018 से 02.02.2018 तक संपादित की गयी, जिसमें 04/2011 से 03/2018 तक के लेखाओं की जाँच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः देहरादून

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्था॰	गैर स्था॰	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधि॰	बचत	आधि.	बचत/समर्पित
2017-18	**-**	**-**	**7079.31**	**7079.31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2018-19	**-**	**-**	**7218.77**	**7218.77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2019-20	**-**	**-**	**1049.00**	**965.13**	**-**	**-**		**83.87**	**-**	**-**

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: **लागू नहीं**

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: **शून्य**

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

संयुक्त सचिव
उप-सचिव
अनुसचिव
अनुभाग अधिकारी
समीक्षा अधिकारी
सहायक समीक्षा अधिकारी

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में संयुक्त सचिव सचिवालय (लेखा अनुभाग 4650) उत्तराखंड शासन देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन संयुक्त सचिव सचिवालय (लेखा अनुभाग 4650) उत्तराखंड शासन देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। अप्रैल 2018 एवं जून 2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

शून्य

प्रस्तर-01 :– सामान्य भविष्य निधि पास बुक में रू 4.47 लाख की अनियमित गणना।

कार्यालय सयुंक्त सचिव सचिवालय प्रशासन (लेखा अनुभाग 4650) उत्तराखण्ड, देहरादून के सामान्य भविष्य निधि पास बुक एवं लेजर की जॉच में पाया गया कि निम्न कर्मचारियों/अधिकारियों के वर्ष 2018–19 में सामान्य भविष्य निधि पास बुक में ब्याज/सकल योग **की त्रुटिपूर्ण** गणना की गयी है। विवरण निम्न हैः–

नाम	पदनाम	लेखा	वर्ष	सा भ नि पास बुक के अनुसार CB	गणना सीट के अनुसार CB	ब्याज की अधिक्य/कम गणना
श्री जगमोहन नेगी	समीक्षा अधिकारी	02	2018–19	924527	924528	01
श्री गजेन्द्र सिंह चौहान	समीक्षा अधिकारी	02	2018–19	1791120	1791121	01
श्री जयपाल सिंह	समीक्षा अधिकारी	02	2018–19	623381	623382	01
श्री नवीन चन्द	समीक्षा अधिकारी	02	2018–19	719102	719103	01
श्री अजयवीर	समीक्षा अधिकारी	02	2018–19	592403	592657	254
श्री सत्यप्रसाद चमोली	मुख्य रक्षक	07	2018–19	1009243	1009339	96
श्री कृपा शकर मिश्रा	सहा समीक्षा अधिकारी	07	2018–19	891340	891581	241
श्री गंगा सिंह बिष्ट	रक्षक	07	2018–19	1394306	1394523	217
श्री योगेन्द्र प्रसाद उनियाल	सहा समीक्षा अधिकारी	07	2018–19	384967	385066	99
श्री पुष्कर सिंह	मुख्य रक्षक	07	2018–19	676570	676587	17
श्री विशालमणि भटट्	सहा समीक्षा अधिकारी	07	2018–19	1201896	986378	215518
श्री रमाकान्त त्रिपाठी	निरीक्षक	07	2018–19	922227	922181	46
श्री राजीव कुमार	सहा समीक्षा अधिकारी	07	2018–19	1568744	1568939	195
श्रीमती मीना पन्त	अनुभाग अधिकारी	08	2018–19	2540929	2540928	01
श्री सुरेन्द्रर सिंह नेगी	अनुभाग अधिकारी	08	2018–19	1463814	1463813	01
श्री दुर्गा सिंह रावत	अनुभाग अधिकारी	08	2018–19	968153	963601	4552
श्रीमती पदवन्ती धर्मशक्तु	अनुभाग अधिकारी	08	2018–19	908033	908032	01
श्री महेन्द्र सिंह नेगी	अनुभाग अधिकारी	08	2018–19	1300226	1300225	01
श्री रियासत अली	अनुभाग अधिकारी	08	2018–19	375296	149276	226020
श्री सोवत सिंह	सचिवालय परिचारक	10	2018–19	1142291	1142292	01
श्री सचितानन्द	सचिवालय परिचारक	10	2018–19	1101940	1101938	02
श्री रमेश चन्द्र पाल	सचिवालय परिचारक	10	2018–19	1592898	1592897	01
श्री विक्रम सिंह बिष्ट	कम्पूयटर सहायक	10	2018–19	679180	679181	01
श्री प्यारे बलाल	सचिवालय परिचारक	10	2018–19	120699	120700	01
योग						447269

लेखापरीक्षा **में पूछे जाने पर** विभाग ने अवगत कराया **कि** गणना **को** यथाशीध्र जाचोंपरान्त सही कर दिया **जायेगा।**

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि उक्त कर्मचारी/अधिकारी आगामी वर्षो में सेवानि**वृ**त हो रहे है।

अतः सामान्य भविष्य निधि पास बुक में रू 4.47 लाख की **त्रुटिपूर्ण** गणना करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर -02 :- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के उपरान्त तृतीय श्रेणी के सा0 भ0 नि0 खाते में की गयी हस्तांतरित धनराशि में अनियमिततायें रु05.79 लाख।

2 दिसम्बर 2014 को कार्यालय के 28 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हुई थी, जिसके फलस्वरूप चतुर्थ श्रेणी के सा. भ. नि. खाते की धनराशि तृतीय श्रेणी के सा. भ. नि. संख्या आवंटित होने के पश्चात तृतीय श्रेणी के सा0भ0 नि0 खाते में स्थानांतरित की गयी थी। इन 28 कर्मचारियों में से 16 कर्मचारियों की तैनाती अनुभाग 10 में हुई थी। इन 16 कर्मचारियों में से 13 कर्मचारियों की पासबुक लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराई गयी थी।

कार्यालय अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न कर्मचारियों के चालान की धनराशि एवं पासबुक की धनराशि में अन्तर पाया गया है। जो इस प्रकार है:-

क्रं संख्या	कर्मचारियों के नाम	चालान की धनराशि	पासबुक में प्रविष्ट धनराशि	अन्तर की धनराशि
01	श्री ऋषिराम गैरोला	123065	323065	200000
02	श्री भूषणपाल सिंह	386778	336416	50362
03	श्री जगदीश चन्द्र	131409	510173	378764
04	श्री गिरीशलाल	179485	126947	52538
05	श्री रामकुमार	222873	219935	2938
06	श्री जीत सिंह	74341	73650	691
07	श्री हिम्मत राम	288396	288936	540

उपरोकतानुसार 3 कर्मचारियों के खाते मे चालान की धनराशि से रु 579304/- (200000+378764+540) अधिक पायी गयी। 4 कर्मचारियों के खाते मे चालान की धनराशि से रु 106529/- (50362 +52538+2938+691) कम अंकित किए गए थे। इसलिए उपरोक्त से भिन्न कर्मचारियों की सा0भ0नि0 पासबुक की जांच किया जाना अपेक्षित रहेगा।

उक्त प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा प्रकरण की जाँचोपरांत कार्यवाही सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग -दो"अ"प्रस्तर संख्या	भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या	पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0
77/2017-18		**1,2,3**	**-**

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोतम कार्यः—शून्य

भाग - V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय संयुक्त सचिव सचिवालय प्रशासन (लेखा अनुभाग-4650), उत्तराखण्ड, देहरादून के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**
   सतत् अनियमितताएं नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	डा० एम० एस० कन्याल	उपसचिव

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं एवं जिसका समाधान लेखा परीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हे नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी मे सम्मिलित कर एक प्रति संयुक्त सचिव सचिवालय प्रशासन (लेखा अनुभाग 4649) उत्तराखंड शासन देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप-महालेखाकार/एएमजी-III कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III